



थाना जरिया

दिनांक-28.03.2024

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त शंकर राजपूत पुत्र रामहेत के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर चालू हालत व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ नवीन गल्ला मण्डी के सामने बनी पुलिया से लगभग 60 कदम की दूरी पर गोहाण्ड जरिया मार्ग बहद कस्बा गोहाण्ड से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना जरिया में मु0अ0सं0 80/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शंकर राजपूत पुत्र रामहेत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मु0 गांधीनगर कस्बा गोहाण्ड थाना जरिया जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 261/2022 धारा 323/504/506 भा0दं0सं0
2. मु0अ0सं0-80/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र प्रसाद
2. का0 आशीष रजक

